न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः— 36 / 2022 तारीख रजू 21.12.2022

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

योगेश साहू पुत्र श्री मोहनलाल साहू (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स— मोहन मसाला उद्योग, दुकान नं01, पुरानी सब्जी मण्डी, बजरिया, सवाईमाधोपुर। निवासीः— एच—55—ए, रिको इण्डट्रियल ऐरिया, खेरदा, जिला सवाई माधोपुर।

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii), 2(v) / 58 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः— दिनांक 12.08.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिह खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत दिनांक 11.06.2022 को सायं 03.00 पी.एम. पर उक्त संस्थान पर पहुंचा एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु काउन्टर पर प्रदर्शित कर हल्दी, मिर्च एवं धनिया पाउडर व अन्य मसाले रखे थे जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2.3.14(15) का उल्लंघन है एवं प्रतिबन्धित है। उक्त काउन्टर पर रखे मसाले के खुल्ले कट्टे जिनमें मिलावट का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच 02 किलो मिर्च पाउडर (लूज) खरीदकर उसकी कीमत 462 /— रूपये विक्रेता योगेश साहू को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता योगेश साहू के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान मदन गोपाल एवं धर्मराज के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने खरीदशुदा 02 किलो मिर्च पाउडर (लूज) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा मिर्च पाउडर को प्रत्यके बोतल में बराबर—बराबर डाला एवं बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H-2379** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक H-2379 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे योगेश साहू (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति योगेश साहू (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2022/1040 दिनांक 27.06.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/2059/एक्ट/2022/2072 दिनांक 20.06.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया **खाद्य पदार्थ** मिर्च पाउडर **Contravenes Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and standard (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 because it is sold in loose condition.** प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा **Contravenes Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and standard (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 because it is sold in loose condition** मिर्च पाउडर का विकय/प्रदर्शित करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा **Contravenes Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and standard (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 because it is sold in loose condition** मिर्च पाउडर का विकय/प्रदर्शित करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त पर अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की फर्म से मिर्च पाउडर (लूज) का सेम्पल भरा

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

गया था । प्रार्थी पर जानबूझकर प्रकरण बनाने हेतु खाद्य निरीक्षक द्वारा संपल लेने का प्रकरण किया है। प्रार्थी एम.एफ. ब्राण्ड के नाम से पेकिंग कर मसालो का विक्रय करता है खाद्य निरीक्षक ने जानबूझकर पेकिंग मिर्ची की थैली को खुलाकर सेम्पल लिया है। प्रार्थी ने किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की है नही प्रार्थी खुली मिर्ची का विक्रय करता है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/2059/एक्ट/2022/2072 दिनांक 20.06.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** मिर्च पाउडर **Contravenes Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and standard (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 because it is sold in loose condition.** प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा बहस में मिर्ची की पेकिंग खुलवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सेम्पल लेने का कथन किया है किन्तु पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत नहीं मिला है जिससे उक्त कथन साबित हो सके।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(V) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** मिर्च पाउडर (लूज) का विक्रय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 10,000/--रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर